

कमिश्नर वाणिज्य कर ,उत्तर प्रदेश

उपस्थित:-

श्री दीपक कुमार ,कमिश्नर वाणिज्य कर , उत्तर प्रदेश ।

प्रार्थी :-

सर्वश्री त्रिरूपति स्ट्रक्चरल्स लि० ,ए-6/5 साइट-4 ,इण्डस्ट्रियल
एरिया साहिबाबाद ,जिला गाजियाबाद ,उ०प० ।

प्रा०प०सं०-

316/2008

प्रार्थी की ओर से- श्रीपी०आर०मलिक ,अधिवक्ता व श्री एस०सी०जैन, जनरल मैनेजर ।

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम,2008की धारा-59 के अन्तर्गतनिर्णय

1- प्रार्थी के द्वारा दिनांक 01-7-2008 को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम,2008 की धारा-59 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें **LLDPE plastic container** जिनको सामान्यतः **Water Storage Tanks** के रूप में जाना जाता है पर कर की दर की जानकारी चाही गयी है।

2- धारा-59 के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हेतु श्री पी०आर०मलिक ,अधिवक्ता व श्री एस०सी०जैन, जनरल मैनेजर उपस्थित हुये , धारा-59 के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया व बताया कि **Water Storage Tanks** वैट अधिनियम की अनुसूची -2 के भाग-क के क्रमांक 90 पर अंकित प्रविष्टि के अन्तर्गत व वैट अधिनियम की अनुसूची -2 के भाग-ग के क्रमांक 174 पर अंकित प्रविष्टि में आते हैं अतः इस पर 4प्रतिशत की दर से कर देयता होनी चाहिए।

3- मैंने व्यापारी के धारा-59 के प्रार्थना पत्र में उल्लिखित तथ्यों व विद्वान अधिवक्ता व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत तर्कों का परिशीलन किया। वैट अधिनियम की अनुसूची -2 के भाग-ग के क्रमांक 174 पर निम्न प्रविष्टि अंकित है :-

174	Articles for the packing of goods of plastics, namely , crates, containers, carboys, bottles, jars, jerry canes and their stoppers, lids, caps of plastic but not including insulated wares, natural rubber, balata, gutta percha, guayule, chicle and similar natural gums, in primary forms or in plates, sheets or strips, synthetic rubber and factice derived from oils in primary forms or in plates, sheets or strip; mixtures of any product, reclaimed rubber in primary forms or in plates, sheets or strip, compounded rubber unvulcanized in primary forms or in plates, sheets or strip.
-----	---

वैट अधिनियम की अनुसूची -2 के भाग-क के क्रमांक 90 पर निम्न प्रविष्टि अंकित है:-

90.	Packing cases and packing materials including cork, cork sheets, gunny bags, HDPE/PP woven strips, HDPE/PP circular strips and woven fabrics; Hessian cloth, Hessian based paper, Polythene and Hessian based paper; high density polythene fabric based paper and bituminized water proof paper, jute twine; polythene and plastic bags including LDPE plastic bags for milk pouches; Tin containers, shooks, tea chests, waste paper, wooden boxes, wooden shavings, wooden crates, wooden cable drums, all types of ropes and strings, envelopes . Explanation:- planks, penals, battens, when assembled will form tea chest or packing cases will come under packing cases for the purpose of this entry.
-----	--

उपरोक्त दोनों प्रविष्टियों में plastic Tanks. सम्मिलित नहीं है। सर्वश्री मैटाडोर फोम प्रा०लि०,एफ-10-सी,पनकी इण्डस्ट्रियल एरिया ,साइट-11 ,कानपुर (प्रार्थना पत्र संख्या-145/08)के वाद में धारा-59 के अन्तर्गत पारित निर्णय दिनांक 25-6-08 में plastic

सर्वश्री त्रिभुपति स्ट्रक्चरल्स लि० ,ए-6/5 साइट-4 ,इण्डस्ट्रियल एरिया, साहिबाहाबाद ,जिला
गाजियाबाद ,उ०प०/प्रा०प०सं०-316/2008

Water Storage Tanks. वैंट अधिनियम की अनुसूची- 1,2,3,4 में वर्गीकृत न होने के कारण अनुसूची-5 के अन्तर्गत 12.5 प्रतिशत की दर से करदेयता निर्धारित की गयी है।

अतः plastic Water Storage Tanks. पर 12.5 प्रतिशत की दर से करदेयता है।

5- प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

6- इस निर्णय की एक प्रति प्रार्थी को तथा एक प्रति सम्बन्धित कर निर्धारक अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाय।

दिनांक :: 11,अगस्त ,2008

ह० 11.8.08

(दीपक कुमार)

कमिश्नर वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश,लखनऊ।

प्रमाणित प्रतिलिपि

वाणिज्य कर नुस्खेगव वसुनस

